भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1768
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का आकलन

†1768. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवास की मांग का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार निष्कर्षों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है:

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पात्र लाभार्थियों के लिए आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए एक मांग सर्वेक्षण किया है और वर्ष 2017 में 112.24 लाख आवासों की मांग की सूचना दी है; जिसका राज्य-वार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

हालांकि, घरों की मांग परिवर्तनशील प्रकृति की है, इसलिए योजना के कार्यान्वयन के दौरान पात्र बनने वाले अतिरिक्त शहरी परिवारों को भी पीएमएवाई-यू के तहत शामिल किया गया। सत्यापित मांग के आधार पर, परियोजना प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया गया ताकि आगे केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) केंद्रीय सहायता स्वीकृत कर सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 114.22 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 25.11.2024 तक 88.22 लाख से अधिक आवासों को पूरा किया जा चुका है/लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमएवाई-यू की शुरूआत से लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सौंपे गए आवासों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

दिनांक 05-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1768 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- I

पीएमएवाई-यू के तहत निर्धारित मांग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सत्यापन के बाद संभावित मांग (संख्या)
1.	राज्य	आंध्र प्रदेश	20,50,000
2.		बिहार	3,75,000
3.		छत्तीसगढ़	3,00,000
4.		गोवा	4,845
5.		गुजरात	7,65,000
6.		हरियाणा	1,50,000
7.		हिमाचल प्रदेश	13,000
8.		झारखण्ड	2,20,000
9.		कर्नाटक	7,00,000
10.		केरल	1,30,000
11.		मध्य प्रदेश	8,50,000
12.		महाराष्ट्र	13,50,000
13.		ओडिशा	1,80,000
14.		पंजाब	1,15,000
15.		राजस्थान	2,20,000
16.		तमिलनाडु	7,15,000
17.		तेलंगाना	2,25,000
18.		उत्तर प्रदेश	17,00,000
19.		उत्तराखंड	50,000
20.		पश्चिम बंगाल	5,50,000
उप- कुल (राज्य):-			**1,06,62,845**
21.	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,000
22.		असम	1,40,000
23.		मणिपुर	55,000
24.		मेघालय	6,000
25.		मिजोरम	40,000
26.		नागालैंड	35,000
27.		सिक्किम	1,500
28.		त्रिपुरा	92,000
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य):-			**3,77,500**
29.	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	670
30.		चंडीगढ़	1,000
31.		दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	6,023
32.		दिल्ली	79,000
33.		जम्मू और कश्मीर	79,331
34.		लद्दाख	1,926
35.		लक्षद्वीप	-
36.		पुद्दुचेरी	15,650
उप- कुल (संघ राज्य क्षेत्र):-			**1,89,140**
कुल योग:-			**1,12,23,945**

दिनांक 05-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1768 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

शुरूआत से पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सौंपे गए आवासों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	योजना की शुरूआत से			पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)		
			स्वीकृत आवास (संख्या)	**निर्माणाधीन आवास (संख्या)**	**पूर्ण /सौंपे गए आवास वितरित**	स्वीकृत	जारी**	उपयोग
1.	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,46,381	10,02,729	24929.54	17,569.87	14,484.03
2		बिहार	3,14,477	3,08,362	1,60,921	1788.89	2,186.49	1,698.93
3.		छत्तीसगढ	3,02,663	2,85,312	2,45,291	2693.71	3,208.14	2,943.46
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	63.31	63.31	63.31
5		गुजरात	10,05,204	9,79,704	9,31,989	13536.31	13,851.72	13,309.58
6		हरियाणा	1,15,034	90,422	69,009	778.01	1,034.98	807.29
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,640	10,878	133.32	142.74	118.26
8		झारखण्ड	2,29,156	2,13,901	1,49,818	1739.67	1,594.33	1,239.38
9		कर्नाटक	6,38,121	5,72,423	3,76,192	3641.54	4,135.01	3,621.82
10		केरल	1,67,322	1,53,228	1,26,761	1372.14	1,322.77	1,178.89
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,45,002	8,33,759	7554.27	9,479.68	9,009.56
12		महाराष्ट्र	13,64,923	10,94,243	8,70,530	15895.65	14,861.40	13,855.06
12		ओडिशा	2,03,380	1,85,216	1,53,791	1635.82	1,725.04	1,542.18
14		पंजाब	1,32,235	1,18,302	90,508	1634.28	1,539.44	1,434.79
15		राजस्थान	3,19,877	2,96,283	2,07,472	4540.6	3,926.65	3,767.61
16		तमिलनाडु	6,80,347	6,64,645	5,87,117	5411.29	6,818.96	6,518.43
17		तेलंगाना	2,50,084	2,34,737	2,23,318	1994.07	2,134.01	2,032.39
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,58,298	16,44,176	15129.04	20,251.69	19,812.27
20		उत्तराखंड	64,391	62,353	37,917	749.32	670.28	617.76
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,06,960	4,18,036	6042.22	5,242.85	4,867.12
उप- कुल (राज्य):-			**113,47,069**	**105,31,558**	**81,43,357**	**1,11,263.00**	**1,11,759.36**	**1,02,922.12**
22	**पूर्वोत्तर राज्य**	अरुणाचल	8,499	8,070	8,063	49.91	72.62	53.81
22		असम	1,76,643	1,69,032	1,13,697	1915.07	1,749.99	1,684.99
23		मणिपुर	56,037	50,422	14,961	263.56	324.94	296.56

24		मेघालय	4,758	4,000	1,778	38.53	39.96	25.55
25		मिजोरम	39,605	39,076	18,649	171.78	336.78	323.78
26		नागालैंड	31,860	31,055	25,949	149.53	241.53	198.74
28		सिक्किम	316	316	202	3.98	3.98	3.98
28		त्रिपुरा	92,854	87,168	75,060	536.66	663.87	538.56
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य):-			**4,10,572**	**3,89,139**	**2,58,359**	**3,129.02**	**3,433.67**	**3,125.97**
29	**संघ राज्य क्षेत्र**	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	376	376	47	5.45	2.66	2.49
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	24.09	24.09	24.09
31		दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव	9,947	9,947	9,230	139.48	147.14	141.23
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	401.79	401.79	401.79
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	41,930	27,407	419.17	394.97	338.00
34		लद्दाख	1,307	991	875	4	7.12	6.78
34		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
38		पुद्दुचेरी	15,995	15,921	10,437	129.91	160.40	106.51
उप- कुल (संघ राज्य क्षेत्र):-			**1,05,897**	**1,00,397**	**79,228**	**1,123.89**	**1,138.17**	**1,020.89**
कुल योग:-			**118.64 लाख**	**114.22 लाख***	**88.22 लाख***	**1,15,515.91**	**1,16,331.20**	**1,07,068.98**

* इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के (3.41 लाख) पूर्ण(4.01 लाख) निर्माणाधीन आवास शामिल हैं।

** इसमें पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत आवासों के लिए वर्ष के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।